उपायुक्त का न्यायालय, रामगढ़

विविध वाद संख्या– 67 / 2010
टाटा स्टील लि0 बनाम सोबरन महतो

12

–: आदेश :–

27-12-13

प्रथम पक्ष का कहना है कि निम्नांकित भूमि पर प्रतिवादी सोबरन महतो, पिता देवनाथ महतो अवैध रूप से दावा कर रहे हैं।

अंचल	मौजा	खाता सं0	खेसरा सं0	रकबा
माण्डू	बारूघुटु	48	388 / 3745	7.12 ए0

टाटा स्टील कम्पनी के द्वारा यह कहा गया है कि उपरोक्त खाता संख्या–48 की भूमि गैरमजरूआ प्रकृति की है, जो राज्य सरकार में निहित है। उन्हें उपरोक्त जमीन में खनन कार्य करने हेतु एम0एम0आर0डी0 अधिनियम 27 (i) (d) के अन्तर्गत अनुमति मिली हुई है। यह अनुमति कुल 2054.70 एकड गैरमजरूआ भूमि के लिए है। अनुमति कम्पनी को पत्रांक 2399 दिनांक 31.08.1976 और 2010 दिनांक 22.07.1977 के द्वारा प्रदान की गई।

प्रतिवादी सोबरन महतो यह दावा करते हैं कि उपरोक्त विवादित भूमि खाता नं0–48, खेसरा संख्या–388 / 3745, रकबा–7.12 एकड़ भूमि उनको हुकुमनामा के जरिये प्राप्त हुई है। कम्पनी का यह भी कहना है कि हुकुमनामा की सम्पुष्टि जमींदार द्वारा दायर रिटर्न से नहीं होता है और न ही प्रतिवादी इसका कोई दस्तावेज दिखाते हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि हुकुमनामा जाली है।

अंचल अधिकारी, माण्डू के पत्रांक 1218 दिनांक 31.12.2010 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि ग्राम–बारूघुटु, थाना नं0–118 के खाता नं0–48, खेसरा नं0–388 / 3745, सर्वे खतियान में गैरमजरूआ खास खाते की भूमि है। चालू पंजी –II के पेज नं0–118, वॉल्यूम–I में खाता नं0–48, रकबा–7.12 एकड़ लगान 2.00 अलावे शेष सोबरन महतो पिता देवनाथ महतो के नाम से मांग दर्ज है। भूमि पर वर्तमान समय में टाटा कम्पनी द्वारा खुदाई किया गया है। अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग के द्वारा विविध केस नं0 36 / 07–08 के द्वारा रैयती मान्यता प्रदान किया गया है।

गैरमजरूआ भूमि के संबंध में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार के पत्रांक 914 दिनांक 09.12.1998 के द्वारा यह स्पष्ट निदेश निर्गत किया गया है कि जो जमाबंदी बिल्कुल अवैध और बिना आधार के है, उसे रद्द किया जा सकता है और संबंधित अंचल अधिकारी एवं कर्मचारी के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। वर्तमान मामले में प्रतिवादी के पिता द्वारा हुकुमनामा द्वारा प्राप्त बताया गया है, परन्तु उसका कोई अनुपूरक साक्ष्य जैसे–जमींदारी रिटर्न, बुझारत पंजी की प्रति, जमींदारी रसीद वगैरह प्रस्तुत नहीं की गई है, जिससे स्पष्ट है कि हुकुमनामा द्वारा प्राप्त जमीन वैधानिक नहीं है।

भारतीय निबंधन अधिनियम, 1908 की धारा 17 में भी यह प्रावधान है कि जिस भूमि का मूल्य 100 रूपये से अधिक है, उसका हस्तानान्तरण निबंधित पट्टा के माध्यम से होना अनिवार्य है, अन्यथा उसके बिना किये गये हस्तानान्तरण अवैध माना जायेगा। वर्तमान मामले में हुकुमनामा निबंधित नहीं है, जिससे यह संकेत मिलता है कि वह भूमि हड़पने के उद्देश्य में बनाया गया है।

वाद में प्रस्तुत तथ्य, दस्तावेजों एवं प्रथम पक्ष के द्वारा लिखित बहस के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि ग्राम–बारूघुटु, थाना नं0–118 के खाता नं0–48, खेसरा नं0–388/3745, कुल रकबा–7.12 एकड़ भूमि की जमाबंदी सोबरन महतो के नाम से कायम जमाबंदी अवैध और गलत है। अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग द्वारा जो रैयती मान्यता दी गई है, उसका कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। इसलिए वर्तमान न्यायालय द्वारा उसका संज्ञान नहीं लिया जा सकता। अतः प्रथम पक्ष के द्वारा दायर आवेदन को आंशिक रूप से कुल 7.12 एकड़ भूमि के संदर्भ में स्वीकृत किया जाता है और भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ को यह निदेश दिया जाता है कि मौजा–बारूघुटु के चालू पंजी –II के पेज नं0–118, वॉल्यूम–I में खाता नं0–48, रकबा–7.12 एकड़ सोबरन महतो के नाम जमाबंदी को खारिज करें, क्योंकि कायम जमाबंदी अवैध और अनधिकृत है। अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग द्वारा वाद संख्या–36/2007–08 में प्रदत्त रैयती मान्यता को भी निरस्त किया जाता है, क्योंकि उसका कोई वैधानिक प्रावधान नहीं है।

आदेश की प्रति अपर समाहर्त्ता को भेजें और 15 दिनों के अन्दर जमाबंदी रद्द करने का अनुपालन प्रतिवेदन मांगे, उसके बाद इस अभिलेख की कार्यवाही बन्द होगी।

लेखापित एवं संशोधित।

उपायुक्त,
रामगढ़।

27/12/13

उपायुक्त,
रामगढ़।